यह निरीक्षण आख्या उप-शिक्षा अधिकारी कर्णप्रयाग चमोली के माह 11/2012से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप-शिक्षा अधिकारी कर्णप्रयाग चमोली के अवधि की माह 11/2012 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री डी॰के॰मट्टू , श्री प्रहलाद सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 01/02/2019 से 05/02/2019 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है |

1. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उप शिक्षा अधिकारी द्वारा विकास खंड मे संचालित विधालयों का निरीक्षण अनुश्रवण करना /| वर्तमान मे उपशिक्षा अधिकारी का कार्यालय कर्णप्रयाग जनपद चमोली- स्थित हैं|

(i) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रू में)

वर्ष	**आवंटन**		**व्यय**		**बचत /अभ्यर्पण**	
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**स्थापना**	**गैर स्थापना**	**स्थापना**	**गैर स्थापना**
2015-16	1872612	117300	1872612	117300	0	0
2016-17	2816928	101556	2816928	101556	0	0
2017-18	3708075	53000	3708075	53000	0	0
2018-19 Ex 12/18तक	3342000	64000	2997609	24589	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

---------- शून्य ----------

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार राज्य सरकार– भारत सरकार/ द्वारा किया जाता हैं। गैर स्थापना ब्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी सी है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव
↓
महानिदेशक
↓
निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)
↓
अपर निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)
↓
मुख्यशिक्षा अधिकारी
↓
खंड शिक्षा अधिकारी
↓
उप-शिक्षा अधिकारी

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय उप-शिक्षा अधिकारी कर्णप्रयाग जनपद चमोली की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय कर्णप्रयाग जनपद चमोली की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2013, 03/2014, 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- आवश्यक मानकों की अनदेखी कर अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यता हेतु आख्या प्रेषित किया जाना ।

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली के पत्र- प्रष्ठांकन सं. / अशा. (बे) /8429-30 से 8445-46 तथा 8459-60 से 8479-80 तक, के द्वारा विकास खण्ड के विभिन्न विद्यालयों को सशर्त औपबन्धिक मान्यताएँ दिनांक 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए प्रदान की गईं थीं । कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी कर्णप्रयाग के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि, किराए के विद्यालय भवनों का कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए किराए /लीज पर किरायानामा विधिवत पंजीकृत नहीं थे। आगे यह भी पाया गया कि विकास खण्ड कार्यालय की आख्या में विद्यालयों की मान्यता हेतु की गई संस्तुतियों में विद्यालय भवनों के किराएनामों के पंजीकृत नहीं कराये जाने का उल्लेख किए जाने के बावजूद भी जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा औपबंधिक मान्यताएँ दिनांक 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए प्रदान की गईं थीं । पुनः 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए भी विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमों की अनदेखी कर मान्यताएँ प्रदान की गईं । मान्यता हेतु आवश्यक मानकों की अनदेखी कर अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यताएँ प्रदान की गईं। अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यताएँ प्रदान किए जाने के दौरान, अग्नि से बचाव की व्यवस्था की अनदेखी किए जाने से जहां एक ओर विद्यार्थियों की जान जोखिम में डाली गई वहीं दूसरी ओर विद्यालय भवनों का किराए /लीज पर किरायानामा विधिवत पंजीकृत नहीं कराये जाने के फलस्वरूप पंजीकरण शुल्क का अदेय लाभ विद्यालय प्रवंधनों को दिये जाने से शासकीय राजस्व की हानि भी हुई । लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वतः स्वीकार किया गया और कहा गया कि, लेखापरीक्षा के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। अतः विद्यालय भवनों का किरायानामा विधिवत पंजीकृत नहीं कराये जाने तथा अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यता हेतु संस्तुति किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- धनराशि रु 2.8 लाख का के वाउचर का सत्यापन न कराया जाना।

नियम अनुसार शासनादेश संख्या 358/xxvii/6/ 2011 दिनाक 23/09/2011, भुगतान से सम्बंदित पत्रावली बिल वाउचर 11-सि , BM-4,BM-5 तथा केश बुक इकाई के पास होना अनिवार्य हें। उप शिक्षा अधिकारी कर्णप्रयाग चमोली के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि निम्लिखित medical reimbursement के बिल वाउचर रिकॉर्ड में नही पाए गये

S.no	Bill No	Date	Amount	Items
O1	125	29/03/14	Rs.68260/=	Medi.reimbursment
02	136	29/03/14	Rs.60412/=	medi.reimbursment
03	137	31/03/14	Rs.10921/=	Medi.reimbursment
04	140	31/03/14	Rs.69180/=	Medi.reimburement
	Total	**Rs.2,08,773/=**		

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर लेखापरीक्षा की objections विभाग द्वारा स्वीकार की गयी ओर बताया गया कि अभी उपलब्ध नही हें प्राप्त होने पर कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेशित कर दिया जायेगा। विभाग का उत्तर मान्य नही हें क्योंकि विभाग द्वारा जो भी भुगतान किया जाये उसकी छायाप्रति उनके रिकॉर्ड /गार्ड फाइल रखना अनिवार्य हें तथा विभाग द्वारा उपरोक्त बिल वाउचर प्रषित नही करना विभाग की शिथिलता प्रकट हो जाती है। अतः धनराशी रूपये 2.8 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

(i) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा हैं			

(ii) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा हैं				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-शून्य-

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार) लेखापरीक्षा (उत्तराखण्ड ,देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय उपशिक्षा अधिकारी कर्णप्रयाग - जनपद चमोली तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

1. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया |**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री टीका प्रसाद नौटियाल	उप शिक्षा अधिकारी	15.09.2012 से 22.05.2014
2.	श्री विजयपाल सिंह बिष्ट	उप शिक्षा अधिकारी	23.05.2014 से 04.06.2015
3.	सुश्री केना	उप शिक्षा अधिकारी	05.06.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उप-शिक्षा अधिकारी कर्णप्रयाग जनपद चमोली को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकर(ले°प°) उत्तराखंड महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहारादून-248195 को प्रेषित करना सुनिशित करे|

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.